

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या : 83/2021

तारीख दायर : 21.09.2021

अनवान

रामलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

बनाम

..... प्रार्थी

01. सीता देवी पत्नी मोहनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. भवानीलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
03. मदन पिता होक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
04. शम्भूलाल पिता होक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
05. भंवरलाल पिता होक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
06. जगदीश पिता होक्मीचन्द जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 3/12/2021

प्रार्थना पत्र रामलाल पुत्र गोरीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज कुमार धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियां में खाता सं. 639 पर अंकित आराजी नं0 1834/524, 1835/525 किता 2 रकबा 0.3238 हे0, भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया

अतः प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में शिविर स्थान में पत्रावली पेश हुई हमने पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075- 2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियां में खाता सं. 639 पर अंकित आराजी नं0 1834/524, 1835/525 किता 2 रकबा 0.3238 हे0 भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलियां खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा विवादी)
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी
(उपबिजौलियां)
बिजौलियां (भीलवाड़ा)

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)



अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

बनाम शामलाप सीतादेवी
 किस्म मुकदमा - 111-128 नम्बर 83 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/9 /2021	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। परोकार हाजिर। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 12/10/2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	
03/12 2021	<p>पत्रावली बन्द बस्ते से आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में शिविर स्थान उमाजी का बेंडा में पेश हुई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 स्वीकार किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखगया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली केंसल शुमार होकर दाखिल हफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;"> प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021 (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियां (सीतावाड़ा)</p>	